न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 1137/2023

प्रार्थी :– दलपतसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह, जाति राव, निवासी ग्राम बांजड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा एडवोकेट
02. अप्रार्थी सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

:: **निर्णय** :: **दिनांक** :–

1. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांजड़ा पटवार क्षेत्र सम्बाडिया, तहसील बिलाडा की सरहद में प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 35 खसरा नम्बर 188 रकबा 1.4886 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है। ग्राम बांजड़ा की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 67 खसरा नं. 107/2 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नं. 191 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नं. 345 रकबा 1.1164 हैक्टेयर कुल खसार 3 कुल रकबा 2.0387 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण भूमि पर बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है। ग्राम बांजड़ा की सरहद में प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 39 खसरा नं. 162 रकबा 1.8122 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है। ग्राम बांजड़ा की सरहद में प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 112 खसरा नं. 364 रकबा 0.6310 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित चारों खातों व खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा सेवन से, भूलवश या त्रुटिवश

प्रार्थी के सही नाम दलपतसिंह के स्थान पर प्रार्थी का नाम दलीपसिंह व दिलीपसिंह नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी द्वारा अपने उपरोक्त वर्णित चारों खातों व खसरान की खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के उपरोक्त खसरा की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड, जमाबन्दी व गिरदावरी में दिलीपसिंह दर्ज क दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम दलपतसिंह के स्थान पर दलीपसिंह व दिलीपसिंह नाम राजस्व रेकर्ड में सेवन से भूलवश गलत इन्द्राज होने से कभी भी उक्त भूमि बाबत् वाद–विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है तथा प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. ऋण लेने में काफी परेशानी होती है तथा सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्रार्थी नही ले पा रहा है। इस कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम दलपतसिंह ही है तथा प्रार्थी अपना वास्तविक नाम दलपतसिंह होने बाबत् अपना राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैक डायरी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित चारों खातों व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम दलीपसिंह व दिलीपसिंह हटाकर दलपतसिंह राठौड़ दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बांजड़ा में आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है, जिसके खाता सं. 35 खसरा नं. 188 रकबा 1.4886 हैक्टेयर है। वादी के खसरा नं. 107/2 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नं. 191 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नं. 345 रकबा 1.1164 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.0387 हैक्टेयर पूर्ण व खसरा नं. 162 रकबा 1.8122 हैक्टेयर का 1/8 हिस्सा तथा खसरा नं. 364 रकबा 0.6310 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 पर वादी का कब्जा काश्त है। जरिये विरासत नामा सं. 194 व बैचान नामा सं. 480 के वादी का नाम दलीपसिंह व दिलीपसिंह दर्ज हुआ है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित चाारों खातों में वादी का नाम दलीपसिंह व दिलीपसिंह के स्थान पर दलपतसिंह राठौड़ किये जाने की इस्तदुआ हैं।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी, आधारकार्ड, बैक डायरी, पैन कार्ड की प्रति का अध्ययन किया। जिससे विदित होता है कि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम दलपत सिंह राठौड दर्ज हैं। प्रार्थी का नाम जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खसरा सं. 188, 107/2,191,345,162, 364 में प्रार्थी का नाम दलीपसिंह पुत्र भोपालसिंह व दिलीपसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की भूमि की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की दुरूस्ती की जाकर खसरा सं. 188, 107/2,191,345,162, 364 में प्रार्थी का नाम दलीपसिंह व दिलीपसिंह के स्थान पर दलपतसिंह राठौड किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा